

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, 30प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 21 मई, 2020

विषय: मनरेगा कन्वर्जेंन्स के अन्तर्गत बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा को कार्यदायी संस्था नामित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने संख्या-मनरेगा/पत्रा0सं0-01/2491/2019 दिनांक 16-12-19 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्कुलर 2019-20 के पैरा-7.1.1 में कार्यदायी संस्था नामित करने के संबंध में निम्नवत प्राविधान है:-

"As per the Mahatma Gandhi NREGA, 'implementing agency' includes any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or government undertaking or non-governmental organization authorized by the Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up under a Scheme. User Associations recognised by the State Government may also be Implementing Agencies. At least fifty percent of the works in terms of cost shall be allotted to GPs for implementation."

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 16-12-19 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा को जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा में कार्यान्वयनकर्ता एजेन्सी(Implementing agency) नामित किया जाता है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 13/2020/ 608/अडतीस-7-2020तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, 30प्र0, लखनऊ।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा ।
3. उपायुक्त, श्रम रोजगार, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।